

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर-13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

दसवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की दसवीं वार्षिक आम सभा शनिवार, 16 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी :

1. 31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाया एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“ प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।”

2. कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के प्रारक्षित निधि और अधिशेष में से रु. 100/- वाले 28,56,167 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रु. 7/- प्रति समता अंश की दर से, कुल रु. 2 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

3. श्रीमती प्रेमलता (डी.आई.एन. : 08867165), जो “श्रेणी सी” के अंतर्गत आती हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगी एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अन्तर्नियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुन-अध्यादेश) श्रीमती प्रेमलता, कंपनी की निदेशक, जो

“श्रेणी सी” के अंतर्गत आती हैं, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती सुलेखा (डी.आई.एन. 10242846) को जो “श्रेणी-सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी।”

4. श्री अनरुद्ध कुमार (डी.आई.एन. 08865032), जो “श्रेणी सी” के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अन्तर्नियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश) श्री अनरुद्ध कुमार, कंपनी के निदेशक जो “श्रेणी सी” के अन्तर्गत आते हैं एवं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्रीमती उमा भदौरिया (डी.आई.एन. 10242870) को जो “श्रेणी-सी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी।”

5. श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. : 08526498), जो बोर्ड में “श्रेणी-बी” के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. : 08526498) जो बोर्ड में “श्रेणी-बी” का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएं पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को कंपनी में निदेशक पुनः नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।”

6. 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है को अनुमोदित किया जाता है।”

7. कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन एवं यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378-I और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, तथा कंपनी के बर्हिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के तहत, अंशधारकों की सहमति सहित कंपनी के अंतर्नियमों में जहाँ तक संभव हो सके, निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है -

- (1) मौजूदा अनुच्छेद 4.3 (iii) में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 4.3 (iii) :- कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसकी सदस्यता को खारिज करने के लिए, कम्पनी द्वारा उसे एक लिखित नोटिस सुनवाई के अवसर के साथ जारी किया जायेगा। हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए, बोर्ड समीक्षाधीन वर्ष में सभी सदस्यों को एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट दे सकता है। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक से या ई-मेल से या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक मोड से भेजा जायेगा।

तत्पश्चात, बोर्ड इस मामले पर निर्णय लेगा।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जात है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव का कम्पनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”

दिनांक : 18 अगस्त, 2023
स्थान – आगरा

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : F10508

टिप्पणी –

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है, को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखाकर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि (Proxy) के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए प्रतिनिधि फॉर्म (Proxy Form) सही तरह से भरकर, स्टॉम्प लगाकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे से पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रतिनिधि फॉर्म का रिक्त प्रारूप संलग्न है।
2. सदस्य/प्रतिनिधि दसवीं वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने पर उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) विधिवत भरकर लाने की कृपा करें।
3. प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में रखते हुये एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कंपनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
4. निम्नांकित दस्तावेज सूचना पत्र के साथ संलग्न हैं—
 - अ. मद संख्या 3, 4 और 5 के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण एवं मद संख्या 7 में वार्षिक व्यवसाय के सम्बन्ध में विवरण।
 - ब. दिनांक 23 अगस्त, 2022 को सम्पन्न हुई पूर्व वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।
 - स. 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाता, अंकेक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट।
 - द. वित्तीय वर्ष 2023–24 का बजट।
5. जो सदस्य कंपनी के परिचालन से सम्बन्धित या खातों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने प्रश्नों को वार्षिक आम सभा के 7 दिन पूर्व कम्पनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज सकते हैं जिससे कि सभी जानकारियाँ उन्हें आम सभा में उपलब्ध कराई जा सकें।
6. सदस्यों से अनुरोध है कि वह पते में हुए परिवर्तन को पिन कोड तथा मोबाइल नम्बर सहित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तुरन्त सूचित करें।

7. इस सूचना में बताये गये दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक विवरण को कार्य दिवसों में प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा की तिथि तक निरीक्षण किया जा सकता है।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियो संख्या एवं सोलह अंकों का सदस्यता कोड अवश्य लिखें।
9. सीमित आय (डिविडेंड) जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर पारित होता है तो उन सदस्यों को दिया जायेगा जिनके नाम 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत हैं।
10. सदस्यों को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश) की धारा 124 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए यदि सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि को उसकी घोषणा से सात वर्षों तक दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं, तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education and Protection Fund) में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षक विधि (आई.ई.पी.एफ.) में हस्तान्तरित होने वाले अनधियाचित (अवैतनिक) लाभांश इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ के हस्तांतरण की संभावित तिथि
2015-16	10/09/2016	17/10/2023
2016-17	16/09/2017	23/10/2024
2017-18	13/09/2018	20/10/2025
2018-19	06/09/2019	13/10/2026
2019-20	02/11/2020	09/12/2027
2020-21	24/09/2021	31/10/2028
2021-22	23/08/2022	30/09/2029

जिन सदस्यों ने उपरोक्त वर्षों से संबंधित अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है/इलैक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है वे कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं, ताकि वे उक्त निधि में हस्तांतरण के लिए देय होने से पहले भुगतान प्राप्त कर सकें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र (सर्क्युलर) आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।
12. बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : F10508

दिनांक : 18 अगस्त, 2023
स्थान – आगरा



आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनः नियुक्त चाहने/होने वाले निदेशकों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(C) और सामान्य सभा पर लागू सचिवीय मानकों के अनुसार)

मद संख्या 3, 4 और 5

बोर्ड नामांकन समिति की सिफारिश पर, श्रीमती सुलेखा (डी.आई.एन. 1024-2846 जो श्रेणी-सी का प्रतिनिधित्व करती हैं), श्रीमती उमा भदौरिया (डी.आई.एन. 1024-2870 जो श्रेणी-सी का प्रतिनिधित्व करती हैं), की नियुक्ति और श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. 08526498, जो श्रेणी-बी का प्रतिनिधित्व करते हैं) की पुनः नियुक्ति, करने का प्रस्ताव करता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

	श्रीमती सुलेखा	श्रीमती उमा भदौरिया	श्री योगेश कुमार जादौन
उम्र	29	57	29
शैक्षिक योग्यता :	इण्टरमीडिएट	कला में स्नातकोत्तर	विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 11 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 22 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 11 साल का अनुभव
नियुक्ति के नियम और शर्तें :	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग की और अंतिम आहरित पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	दसवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	दसवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	06/09/2019
निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या में भाग लिया	—	—	22
अंश पूजीधारिता :	15	15	137
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं
बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (4) (f) के अनुसार मद संख्या 7 में निर्धारित मद के संबंध में विवरण।

मद संख्या : 7

सदस्यों को नोटिस भेजने के माध्यम को स्पष्ट करने के लिए, अंतर्नियम के अनुच्छेद 4.3 (iii) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों की एक प्रति प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मध्य नोटिस की तिथि से वार्षिक आम सभा की तिथि तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कंपनी का किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके किसी भी रिश्तेदार का, किसी भी प्रकार से, इस प्रस्ताव में निदेशक या हित नहीं है।

निदेशक मंडल संलग्न नोटिस के मद संख्या 7 वर्णित विशेष प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित करता है।

दिनांक : 18 अगस्त, 2023
स्थान – आगरा

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./-
वरुण वर्मा
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : F10508

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की नौवीं वार्षिक आम सभा, जो मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य सूची का विवरण इस प्रकार है:

उपस्थिति :

1.	श्री रजनीश कुमार	:	अध्यक्ष, अध्यक्ष (स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी) एवं अंशधारक
2.	श्री शिव प्रताप	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री उपेन्द्र सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री शिव कुमार शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री योगेश कुमार जादौन	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री हरेन्द्र पाल सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री अनुरुद्ध कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्रीमती प्रेमलता	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्रीमती सपना	:	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री सुशील कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री श्रीराम सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
12.	श्री बसन्त चौधरी	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
13.	श्री वरुण वर्मा	:	कंपनी सचिव

श्री गौरव गजरिया, कंपनी के वैधानिक अंकेकक्षक, मैसर्स एस.बी. बिल्लेमोरिया, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स के प्रतिनिधि।

सदस्य उपस्थित

व्यक्तिगत रूप से : 84

प्रतिनिधि के माध्यम से : 25,187

श्री रजनीश कुमार ने प्रातः 11:00 बजे बैठक की अध्यक्षता की। अध्यक्ष ने कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए कंपनी सचिव से अपेक्षित सदस्यों की उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए कहा।

तत्पश्चात्, श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव, ने बताया कि उपस्थिति पुस्तिका के अनुसार व्यक्तिगत रूप से 84 सदस्य जिनके 7,969 अंश हैं तथा प्रतिनिधित (प्रॉक्सी) के माध्यम से 25,187 सदस्य जिनके 15,02,441 अंश हैं उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y सपठित अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम के लिए 20,625 सदस्य होने चाहिए।

अध्यक्ष ने पाया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के अनुसार कोरम के लिए अपेक्षित न्यूनतम 20,625 सदस्य अंशधारक उपस्थित हैं तथा बैठक का कोरम पूर्ण होने की घोषणा के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

अध्यक्ष महोदय ने कंपनी की नौवीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में सभी सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। उन्होंने सदस्यों को अगवत कराया कि श्री सौगत मित्रा एवं श्री अनिल कुमार बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे।

इसके उपरान्त, अध्यक्ष महोदय ने कंपनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घदृष्टि को पढ़ने के साथ सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।

श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव ने घोषणा की, कि निदेशक मण्डल की समता अंशधारिता का रजिस्टर, प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का रजिस्टर, सदस्यों की समता अंशधारिता का रजिस्टर और वैधानिक रजिस्टर निरीक्षण/जाँच के लिए सभागार के प्रवेश द्वार पर उपस्थित है, जो सदस्य उसका निरीक्षण करना चाहें, वह निरीक्षण कर सकते हैं।

नौवीं वार्षिक आम सभा को बुलाने का नोटिस जोकि सदस्यों को पहले ही वितरित किया जा चुका था, जिसे सदस्यों की सर्व सम्मति से पढ़ा हुआ मान लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी एवं ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संदेश को सदस्यों और बैठक में उपस्थित अन्य अतिथिगण को सुनाया।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष की सहमति पर नौवीं वार्षिक आम सभा के नोटिस में निर्धारित कार्यसूची पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में निम्नांकित व्यापार के बारे में चर्चा की गई :

1. 31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना।

श्री अश्विनी कुमार (फोलियो संख्या : 0190953) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 01/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022-23

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।”

श्री रघुवीर सिंह (फोलियो संख्या : 0070557) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।

श्री ब्रजेश कुमार (फोलियो संख्या : 0120562) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 02/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022-23

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कंपनी की समता अंश पूँजी रूपये 7/- प्रति समता अंश की दर से, 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लाभ में से 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 29,79,374 समता अंशों पर रु. 208.56 लाख वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा। जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।”

श्री सुनील कुमार (फोलियो संख्या : 0133387) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. : 07464066), जो बोर्ड में “कोई श्रेणी नहीं” के अन्तर्गत आते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्री विकास यादव (फोलियो संख्या : 0163510) जो “श्रेणी-ए” का प्रतिनिधित्व करते हैं ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 03/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022-23

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी ने अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अंतर्नियमों के अन्तर्गत एवं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनर्-अध्यादेश श्री अनिल कुमार, निदेशक जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्री मानिक चन्द्र (डी.आई.एन. : 09679787) को जो "श्रेणी-ए" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।

श्री अतर सिंह (फोलियो संख्या : 0106348) जो "श्रेणी-ए" का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको "श्रेणी-ए" के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

4. श्री हरेन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. : 08526484), जो बोर्ड में "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आते हैं, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

श्रीमती आरती (फोलियो संख्या : 0195599) जो "श्रेणी-सी" का प्रतिनिधित्व करती हैं ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 04/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022-23

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी ने अर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुनर्-अध्यादेश श्री हरेन्द्र पाल सिंह, जो "कोई श्रेणी नहीं" के अन्तर्गत आते हैं, निदेशक जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हैं, के स्थान पर श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. 09680147) को जो "श्रेणी-सी" के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।"

श्रीमती नीतू (फोलियो संख्या : 0195604) जो "श्रेणी-सी" का प्रतिनिधित्व करती हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको "श्रेणी-सी" के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

5. श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन : 08526410) जो बोर्ड में "श्रेणी-सी" का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

श्रीमती सुनीता (फोलियो संख्या : 0025940) जो "श्रेणी-सी" का प्रतिनिधित्व करती हैं ने निम्नलिखित प्रस्ताव

को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 05/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022-23

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08526410) जो बोर्ड में “श्रेणी-सी” का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।”

श्रीमती गुडडी देवी (फोलियो संख्या : 0098501) जो “श्रेणी-सी” का प्रतिनिधित्व करती हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको “श्रेणी-सी” के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

6. 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

श्री रंजीत कुमार (फोलियो संख्या : 0012580) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 06/नौवीं वार्षिक आम सभा : 23.08.2022/2022-23

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट जैसा वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है को अनुमोदित किया जाता है।”

श्री दुश्यंत कुमार (फोलियो संख्या : 0020852) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

श्री दिनेश कुमार (फोलियो संख्या : 0105182) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :

प्रस्ताव संख्या : 07/नौवीं वार्षिक आम सभा 23.08.2022/2022-23

“प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378-I और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय-समय लागू होने वाले पुर्न अध्यादेशों के साथ कंपनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, अंशधारकों की सहमति से कंपनी के अंतर्नियमों में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है –

- (1) मौजूद अनुच्छेद 4.3 (iii) में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 4.3 (iii) :- कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसकी सदस्यता को खारिज करने के लिए, कम्पनी द्वारा उसे एक लिखित नोटिस सुनवाई के अवसर के साथ जारी किया जायेगा। हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए, बोर्ड समीक्षाधीन वर्ष में सभी सदस्यों को एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट दे सकता है। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस निम्नलिखित द्वारा/के माध्यम से भेजा जायेगा :

सदस्य को उसके अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत पोस्ट और भेजने के पाँच दिन बाद प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा, या इलैक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सदस्यों को उनकी ई-मेल आईडी पर, जो कंपनी के पास पंजीकृत है तथा ई-मेल भेजने के दिन को, नोटिस प्राप्ति का दिन मान लिया जायेगा।

तत्पश्चात, बोर्ड इस मामले पर निर्णय लेगा।

- (2) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 9.13 (i) :- बोर्ड मीटिंग के लिए आवश्यक कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, जिसमें एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित कम से कम तीन मौजूदगी आवश्यक होगी। तथापि, यदि निदेशक मंडल में कोई विशेषज्ञ निदेशक न हो तो निदेशक मंडल की मीटिंग में कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुच्छेद 9.13 (ii) :- यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तथापि, स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”

श्री वीरपाल सिंह (फोलियो संख्या : 014-2666) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. अन्य कोई कार्यक्रम नहीं होने के कारण, बैठक अध्यक्ष को आभार के साथ 11 :30 पर सम्पन्न हुई :

तिथि : 23 अगस्त, 2022

स्थान : आगरा

ह./-

रजनीश कुमार

अध्यक्ष

डी.आई.एन. 07894245

तिथि : 01 सितम्बर, 2022 को कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टि की गई।

ह./-

कंपनी सचिव

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर-13,

आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,

आगरा-282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट

आयगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2023-24
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम/दिन	5.36
व्यापार (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद)	रुपये लाखों में	1,14,071.51
अन्य आय	रुपये लाखों में	616.57
कुल आय	रुपये लाखों में	1,14,688.14
(ब) व्यय		
माल की लागत रूपांतरण सहित	रुपये लाखों में	1,01,216.29
स्थित एवं परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	13,198.10
कुल व्यय	रुपये लाखों में	1,14,414.39
कर पूर्व लाभ (अ-ब)	रुपये लाखों में	273.75
	प्रतिशत (%)	0.24%

पूँजीगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2023-24
प्रयोगशाला उपकरण	रुपये लाखों में	1050.58
सूचना प्रौद्योगिकी विवरण	रुपये लाखों में	89.42
दफ्तर के उपकरण	रुपये लाखों में	64.60
कुल व्यय	रुपये लाखों में	1204.60

सहज®

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर-13,

आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,

आगरा-282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. 0562-6623300

E-mail info@saahajmilk.com, Website www.saahajmilk.com

फॉर्म संख्या एम.जी.टी.-11

प्रतिनिधि फॉर्म (प्रॉक्सी फॉर्म)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी.आई. एन. : U01403UP2014PTC066595
 कंपनी का नाम : सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर-13, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा-बोदला रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत
 सदस्य(यों) का नाम :
 रजिस्ट्रीकृत पता :
 ई-मेल पता :
 फोलियो संख्या :
 मैं/हम उपर्युक्त नामक कंपनी के अंशों (शेयरों) के सदस्य होते हुए द्वारा निम्न को नियुक्त करते हैं -

- नाम :
पता :
ई-मेल पता :
हस्ताक्षर : या उनके न होने पर
- नाम :
पता :
ई-मेल पता :
हस्ताक्षर :

दिनांक 16 सितम्बर, 2023 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 10:30 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली कंपनी की दसवीं वार्षिक आम सभा में मेरे/हमारे प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों (प्रस्तावों) के संबंध या उसके स्थान में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मतदान देंगे (मतदान में) :

मद संख्या	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विरोध में	तटहस्थ
1.	31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना।			
2.	कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।			
3.	श्री अनरुद्ध कुमार (डी.आई.एन. : 08865032), जो "श्रेणी-सी" के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
4.	श्रीमती प्रेमलता (डी.आई.एन. : 08867165), जो "श्रेणी-सी" के अन्तर्गत आती हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगी।			
5.	श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. : 08526498), जो बोर्ड में "श्रेणी-बी" का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।			
6.	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
7.	कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार करना।			

....., 2023 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर

टिकट चस्पा
करें।

टिप्पणी : यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण एवं कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

**सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड**

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर-13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा-282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91-0562-6623300
E-mail info@saahajmilk.com, Website www.saahajmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)**दसवीं वार्षिक आम सभा – 16 सितम्बर, 2023**

रजिस्टर्ड फोलियो संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
16 अंकों का सदस्य कोड	


मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं कंपनी का एक पंजीकृत सदस्य/पंजीकृत सदस्य/(सदस्यों) का प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) हूँ। मैं एतद्वारा होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश, भारत में शनिवार, 16 सितम्बर 2023 को सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की दसवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का नाम

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

नोट : सदस्यों/प्रॉक्सी धारकों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची को वार्षिक आम सभा में लाएं और इसे विधिवत हस्ताक्षरित प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

वार्षिक आम सभा के स्थल का रूट मैप



एजीएम स्थल :
 होटल मधु रिजॉर्ट्स, एन.एच. - 19/44, निकट
 सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश-282007